UPMP010021912026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी

पीठासीन अधिकारी– (Rupesh Ranjan), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02022**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 732/2026

1.आरूल कुमार उम्र 21 वर्ष पुत्र रामराज

2.विवेक कुमार उम्र लगभग 27 वर्ष पुत्र रामराज निवासीगण ग्राम नगला फत्ते, थाना घिरोर, जनपद मैनपुरी।

–––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य –––विपक्षी/वादी

आदेश

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आरूल कुमार एवम विवेक कुमार **की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन. एस.एस. मुकदमा अपराध संख्या– 105/2025, अन्तर्गत धारा– 115(2), 352, 351(3), 110 बी० एन० एस० थाना– घिरोर** जिला मैनपुरी में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में यह अंकित किया गया है कि यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

3– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि,''वादी मुकदमा पृथ्वी सिंह पुत्र स्व फूलन सिंह नगला फत्ते,थाना घिरोर जिला मैनपुरी का निवासी है। दिनांक 15.03.2025 की शाम करीब 4 बजे मेरा भतीजा मनोज और मैं अपने गांव के पुराने घर से अपने नए घर जो नहर के पार बना है, वहाँ आ रहे थे। मैं आगे था मेरा भतीजा मनोज मेरे पीछे था। उसी समय मेरे गांव के आरूल कुमार, विवेक कुमार पुत्रगण रामराज व आकाश कुमार पुत्र ऋषि कुमार नहर के पुल पर बैठे थे और बड़बड़ा रहे थे कि साला आज बच नहीं पाये जान से मारना है, जैसे ही मेरा भतीजा नहर पर आया तो नहर पर बैठे मेरे गांव के आरूल कुमार ने मेरे भतीजे को पीछे से पकड़ लिया। आकाश,जो हाथ में डण्डा लिये था उसने कहा मारो साले को तब विवेक कुमार मेरे भतीजे मनोज के सिर में ईट मार दी, जिससे मेरा भतीजा लहूलुहान हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। मारपीट करते हुये मैने देखा तो आवाज लगाई क्या कर रहे हो, तभी गाँव की ही तरफ से आए मेरे गॉव के रामराज सिंह पुत्र अशोक सिंह ने अपनी अन्टी से तमंचा निकाल कर मेरे ऊपर जान से मारने की नियत से गोली चला दी। मैंने नहर के पुल की दीवार के किनारे से बैठ अपनी जान बचाई। इसी बीच मेरे गांव की एक चाची कुसमा आ गयी थी तथा मैं भी मनोज, कुसमा को

बचाने पहुंचा उक्त चारों लोगों ने तमंचा, सरिया, लाठी, डण्डों से मेरे भतीजे व मुझे व मेरे गांव की चाची कुशमा को बहुत मारा–पीटा शोर शराबा सुनकर मेरा बेटा गोविन्द व मेरे परिवारीजन आ गये, जिससे उक्त चारों लोग गन्दी गन्दी मां बहन की गालियाँ व जान से मारने की ऐलानियाँ धमकी देते हुए नहर से अपने घर की तरफ चले गये और बोले आज तो बच गया लेकिन अब कभी अकेला मिला तो नहीं छोड़ेंगें। रास्ते में मेरे पुराने घर की कोठी में उक्त चारों व्यक्ति व 3 अन्य लोग घुस आये जिन्होंने मेरी कोठी में पड़ी चारपाई व जंगलों को तोड दिया। मेरे भतीजे मनोज की हालत ज्यादा गम्भीर होने के कारण सरकारी अस्पताल गोधना घिरोर में भर्ती कराया, जहां से आगरा रैफर कर दिया। मेरे भतीजे मनोज की हालत ज्यादा गम्भीर जिसका इलाज श्री कृष्णा हॉस्पीटल आगरा में चल रहा है तथा मनोज के सिर के कई ऑपरेशन किये गये हैं। अपने व मनोज के इलाज में व्यस्त रहने के कारण समय से रिपोर्ट लिखाने नहीं आ सका था। मनोज के स्वास्थ्य में सुधार होने पर रिपोर्ट लिखाने आया है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

4– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने घटना से सम्बन्धित कोई अपराध नहीं किया है प्रार्थीगण पूर्ण रूप से निर्दोष है। उनको पुलिस से मिलकर महज परेशान व बदनाम करने की नीयत से साजिशन नामजद कराया गया है। वास्तविकता यह है कि वादी मुकद्दमा व उसके परिवारीजनों द्वारा प्रार्थीगण व उनके परिवारीजनों के साथ घर में घुसकर मारपीट की गयी थी, जिसके बाबत प्रार्थीगण की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सम्बन्धित थाने में दर्ज करायी गयी थी। उल्लेखनीय है कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा उक्त प्रकरण के स्वतन्त्र गवाहों के लिये गये बयानों में गवाहों ने स्वीकार किया है कि दोनों पक्षों में मारपीट की गयी थी जो कि प्रार्थीगण के कथन को बल प्रदान करता है। अभियुक्तगण के द्वारा प्राइवेट मेडिकल कराया गया है, जो कि कतई फर्जी है। अभियुक्तगण के द्वारा 10 दिन के विलम्ब से काफी सोच समझकर विधिक परामर्श लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है तथा देरी का कोई समुचित कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थीगण का प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई विशेष रोल नहीं दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण/ अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं हैं जो कथित घटना में उनके सम्मिलित होने को बल प्रदान कर सके। वादी मुकद्दमा द्वारा अपनी राजनैतिक पहुंच व दबंगई का फायदा उठाकर नाजायज रूप से दवाब बनाने के उद्देश्य से झूठा मुकद्दमा दर्ज कराया गया है। प्रार्थीगण द्वारा वादी मुकद्दमा व उसके परिवारीजनों के साथ न तो कोई मारपीट की गयी है और न ही कोई सदोष मानववध का अपराध किया गया है। प्रार्थीगण समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनके द्वारा कभी किसी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य नहीं किया गया है, और न ही वादी मुकद्दमा व उसके परिवारीजनों के साथ कोई अपराधिक कृत्य किया गया है। प्रार्थीगण का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा सम्बन्धित न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा अब पुलिस प्रार्थीगण को गिरफ्तार करने की फिराक में है। प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की प्रबल सम्भावना है। इस कारण प्रार्थीगण यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। दौरान विचारण प्रार्थीगण माननीय न्यायालय का पूर्ण सहयोग करने को तैयार हैं। प्रार्थीगण शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं और माननीय न्यायालय में अपनी दौरान विचारण अग्रिम जमानत देने के लिए तैयार हैं। प्रार्थीगण द्वारा जमानत का दुरूपयोग नही किया जायेगा तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये प्रत्येक

आदेश का पालन किया जायेगा एवं बगैर माननीय न्यायालय के देश (भारत) नहीं छोड़ेंगे। प्रार्थीगण समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उक्त प्रकरण में थाना पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। प्रार्थीगण के भविष्य की प्रतिष्ठ को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्गत धारा 482 भा.न.सु.सं. के तहत अग्रिम जमानत दिया जाना उचित है। प्रार्थीगण अग्रिम जमानत के सभी आदेशों व निर्देशों का पालन करेंगें। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7– प्राथमिकी के अनुसार ,''अभियुक्तगण द्वारा वादी, उसके भतीजे मनोज एवं मौके पर आयी कुसमा देवी के साथ तमंचा, सरिया, लाठी एवं डण्डों से मारपीट की गयी तथा गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। शोर सुनकर वादी का पुत्र गोविन्द एवं अन्य परिवारीजन मौके पर आ गये, जिसके पश्चात अभियुक्तगण धमकी देते हुए वहां से चले गये। रास्ते में अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुराने घर की कोठी में घुसकर चारपाई एवं जंगलों को तोड़ दिया गया। घायल मनोज की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे आगरा रेफर किया गया तथा उसके सिर में कई ऑपरेशन किये गये। प्राथमिकी में अभियुक्तगण नामजद हैं।'' वादी मुकदमा द्वारा अपने बयानों में प्राथमिकी का समर्थन किया किया गया है। चश्मदीद साक्षी नन्दकिशोर,परसराम व होतीलाल द्वारा अपने बयानों में कथित घटना की पुष्टि की गई है। इंजरी रिपोर्ट में मजरूब के सिर में तीन चोटे आना दर्शित है। घायल मनोज को आयी चोटों को चिकित्सकीय रिपोर्ट में गंभीर बताया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था– **गुरूबक्स सिंह सीरिया बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर 1980 सुप्रीम कोर्ट– 1632** में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा–438 दं.प्रं.स. के अंतर्गत अग्रिम जमानत का उपयोग नियमित रूप से नहीं करना चाहिये, बल्कि इसका उपयोग विशेष व असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये।

8. विधि व्यवस्था पी.चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय क्रि०अ०स० 1340/2019 निर्णय दिनांकित 05.09.2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा–438 दं.प्रं.स. के अन्तर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग कभी–कभार अति–आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये। अग्रिम जमानत स्वीकार किया जाना नियम नहीं है,और अग्रिम जमानत तभी दिया जाना चाहिये जब न्यायालय इस बात से सतुंष्ट हो कि असाधारण उपचार की आवश्यकता है, ऐसे में ही अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिये।

9. उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धातों से स्पष्ट है कि अग्रिम जमानत का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिये। उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं दर्शित की गयी है, जिससे कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि अभियुक्तगण को

अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित हो। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

10. मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायहित में नहीं है। मामले की गंभीरता व तथ्यों को देखते हुये अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण /अभियुक्तगण **आरूल कुमार एवम विवेक कुमार** की ओर से योजित अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र तदनुसार निरस्त किया जाता है।

दिनांक 23–06–2026

(रूपेश रंजन)

जिला एवम सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी।

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.06.23 14:14:01 +0530